भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 224

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर अधिदेश

224. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अधिदेश के अंतर्गत शामिल की गई/छूट प्राप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इन छूटों के क्या औचित्य हैं;

(ख) क्या सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे अनेक क्षेत्रों में सीएसआर निधि का समान वितरण सुनिश्चित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार घाटे वाले क्षेत्रों में निधि के एक समान आवंटन के किसी प्रस्ताव पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सीएसआर ढांचे में सुधार करने के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने जैसे किसी संशोधन या नीति पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय की गई निधि सहित सीएसआर में अंशदान देने वाली कंपनियों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सीएसआर उपबंधों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों का छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की धारा 135 के तहत किया गया है। 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार या तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त करने वाली प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में कार्यकलापों पर तीन तत्काल वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करे। अधिनियम की धारा 135 में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली अन्य सभी कंपनियों को सीएसआर अधिदेश से छूट दी गई है। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह बोर्ड

द्वारा संचालित प्रक्रिया है, इसलिए सरकार कंपनियों को किसी विशेष कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं करती है।

(ग): भाग (क) और (ख): के उत्तर में ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में निधियों के एक समान आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटन की सूचना सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में दी जाती है जिन्हें उनकी वार्षिक विवरणी फ़ाइल करने के साथ फ़ाइल किया जाता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2025 के सामान्य परिपत्र संख्या 06/2025 के माध्यम से सभी कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग को 31 दिसंबर, 2025 तक पूरा करने की अनुमति दी है।

(च): उपर्युक्त पैरा (ङ): के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं है।

***